**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Land Dispute Appeal No.- 186/2015

**Bharat Sharma & Ors ..... Appellants.**

**Versus**

**Govind Sharma & Ors ..... Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 06.10.2023 | **आदेश**<br>प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–183/2014–15 में दिनांक–06.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।<br>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–जलालगढ़, खाता सं0–765, खेसरा सं0–651/2977 एवं 649/2978 रकवा–21 डी0 प्रश्नगत भूमि है। उक्त भूमि वर्ष 1976 में मोहन लाल शर्मा के नाम बंदोबस्त होते हुए लालकार्ड निर्गत हुआ जिसपर ये जीवन–पर्यन्त दखलकार रहे एवं उनके नाम जमाबंदी दर्ज होते हुए भू–लगान भुगतान दिया जाता रहा है। मोहन लाल शर्मा कलकत्ता में थे जिसकी 1982 में मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण उन्हीं के वारिशान के रूप उक्त भूमि पर दखलकार हुए। अपीलार्थीगण व्यवसाय के सिलसिले में कलकत्ता में रहते थे एवं इसकी बहन भी जलालगढ़ से दूर अपने ससुराल में रहती है। उत्तरवादी पड़ोसी होने के नाते उक्त भूमि को हड़प लिये। अपीलार्थी द्वारा उसकी संपत्ति देखरेख हेतु जलालगढ़ के ही पवन शर्मा के पक्ष में दिनांक–20.07.2000 को मुख्तारनामा (Power of Attorney) निष्पादित किया गया। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष दिये गये आवेदन के आलोक में दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, जो कालांतर में वाद सं0–146M/2002 में धारा 145 के अंतर्गत परिवर्तित हो गई। इनके विरूद्ध सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया के समक्ष दायर पुनरीक्षण वाद सं0–229/2002 दिनांक–24.07.2022 को खारिज कर दिया गया। कार्यपालक दंड़ाधिकारी, पूर्णिया द्वारा दिनांक–20.02.2006 को प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी को दखल का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया के समक्ष वाद सं0–100/2006 दायर किया गया जिसमें 146M/2002 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में Criminal Misc. Case No. 43764/2011 दायर किया गया। जिसे दिनांक–26.08.2014 द्वारा स्वीकृत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 145 की कार्यवाही के | |

Web Copy Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | दौरान उत्तरवादी द्वारा दो विक्रय संलेख दिनांक–25.01.1990 की छायाप्रति दाखिल की गई जिसमें प्रश्नगत भूमि का भी विक्रय संलेख है। उक्त विक्रय संलेख की जानकारी पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जलालगढ़ थाना कांड<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>06.10.2023 | सं0–83/2011 दायर किया गया, जिसमें विपक्षियों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। उक्त मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2010 में अपीलार्थियों द्वारा पुनः शंकर कुमार वर्मा के पक्ष में मुख्तारनामा (Power of Attorney) दिया गया। इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। जिसमें उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि से संबंधित T.S. No.-339/1999 तथा अब Title Appeal No.-34/2009 का हवाला दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनते हुए इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी बंदोबस्तधारी के वैध वारिशान हैं। उत्तरवादी द्वारा उक्त भूमि पर क्रय के आधार पर दावा किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। Power of Attorney पर प्रश्न खड़ा किया जाना सही नहीं है। उत्तरवादी के पक्ष में निर्गत विक्रय संलेख अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय में ''मुख्तारनामा'' (Power of Attorney) के आधार पर वाद दायर किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। मुख्तारनामा प्राप्त व्यक्ति (निम्न न्यायालय का आवेदक) पूर्णिया का एक प्रसिद्ध भू–दलाल है जो विवादित भूमि से 25 कि0मी0 दूर पूर्णिया शहर में निवास करते हैं। जबकि उत्तरवादीगण 65 वर्षों से अधिक समय से दखलकार हैं। तालिका प्रसाद दूबे द्वारा इनके पूर्वजों निरंजन लाल शर्मा एवं फणी लाल शर्मा के नाम पट्टा निष्पादित किया गया था। मोहन लाल शर्मा द्वारा मृत्यु के पूर्व उक्त भूमि उत्तरवादियों के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है। तब से ये दखलकार हैं। मोहन लाल शर्मा की मृत्यु दिनांक–15.06.1999 को बड़ी बाजार, कटिहार में हुई थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त है। निम्न न्यायालय द्वारा मुख्तारनामा के संबंध में लिया गया निर्णय क्षेत्राधिकार अंतर्गत एवं विधिसम्मत् है। उल्लेखनीय है कि मूल भू–स्वामी तालिका प्रसाद दूबे द्वारा इनके दादा निरंजन लाल शर्मा के पक्ष में दिनांक–28.01.1946 को निबंधित पट्टा द्वारा हस्तांतरित की गई है। जिसपर ये उस समय से घर बनाकर निवास कर रहे हैं। मोहन लाल शर्मा के पक्ष में निर्गत लालकार्ड की भूमि इन्हें विक्रय संलेख द्वारा दिनांक–25.01.1990 को हस्तांतरित कर दी गई। मोहन लाल शर्मा निःसंतान थे और मृत्यु पूर्व उनके द्वारा अपना मूल लालकार्ड भी इनके पास जमा कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा मोहन लाल के | |

Web Copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | गलत संतान होने एवं गलत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में पक्षकार नही थे। अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर कभी भी दखलकार नहीं रहे हैं और उनके द्वारा मोहन लाल शर्मा की मृत्यु की तिथि–27.12.1982 दर्शाते हुए जाली प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जिसमें पिता का नाम उल्लिखित नहीं है। प्रश्नगत भूमि का बिजली बिल एवं कृषि बाजार समिति को एग्रीमेंट पर दिये जाने का दस्तावेज दाखिल है। पवन शर्मा इनके चचेरे भाई हैं जो प्रश्नगत भूमि हड़पने की नियत<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>06.10.2023 | से जाली मुख्तारनामा प्राप्त किये थे और उपरोक्त विवाद उनके द्वारा चलाया गया था। कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया द्वारा Cr. Rev. No.-100/2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त आदेश को निरस्त किया गया है किन्तु उक्त न्यायादेश के आलोक में अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम पूर्णिया के न्यायालय में Cr. Rev. No.-111/2014 लंबित है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि को हड़पने की नियत से भू–माफिया द्वारा मोहन लाल शर्मा की मृत्यु के 22 वर्षों बाद जलालगढ़ थाना कांड सं0–83/2011 दायर किया गया है। इनके विरूद्ध समर्पित आरोप पत्र के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया के समक्ष Cr. Rev. No.-185/2015 दायर किया गया है जो विचाराधीन लंबित है। विवादित लालकार्ड की भूमि के संबंध में शंकर कुमार वर्मा के पक्ष में निर्गत जाली मुख्तारनामा के आधार पर निम्न न्यायालय में वाद दायर करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर इनका लंबे समय से आवास एवं दखल–कब्जा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत आदेश पारित किया गया है जो तथ्यात्मक एवं सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि स्व0 मोहन लाल शर्मा को वर्ष 1976 में लालकार्ड से प्राप्त थी, जिसपर बंदोबस्तधारी लंबे समय तक दखलकार रहे। उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान दखल–कब्जा में रहते हुए व्यवसाय के सिलसिले में कलकत्ता चले गये। उत्तरवादियों द्वारा विवादित भूमि दिनांक–25.01.1990 को बंदोबस्तधारी से विक्रय संलेख के माध्यम से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है कि बंदोबस्त भूमि की अंतरण हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त है। बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बंदोबस्त भूमि का क्रय एवं तद्नुसार सृजित जमाबंदी को वैध नहीं माना जा सकता है। बंदोबस्तधारी के पक्ष में सृजित जमाबंदी एवं निर्गत परवाना के अस्तित्व में बने रहने की स्थिति में बंदोबस्तधारी के हितों की अनदेखी किया जाना न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि प्रस्तुत भूमि से संबंधित Title Appeal No. 34/2009 सक्षम व्यवहार न्यायालय में लंबित है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि | |

Web Copy, Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पर अपने पूर्वज के नाम निर्गत बंदोबस्ती एवं तद्नुरूप सृजित जमाबंदी के आधार पर दावा कर रहे हैं जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। जबकि उत्तरवादियों द्वारा उक्त भूमि विक्रय संलेख से प्राप्त करने के आधार पर दावा किया जा रहा है जिसका विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा हीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। | |

Web Copy. Not Official.